

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित)



वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2012-2013

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	1-7
2	तुलन पत्र	8-9
3	आय तथा व्यय लेखा	10-11
4	तुलन पत्र की अनुसूचियां	12-21
5	आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियां	22-28
6	खातों की अनुसूचियां	29-34
7	तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाते के परिशिष्ट	35-50
8	प्राप्तियों और भुगतान लेखा	51-52
9	प्राप्तियाँ एवं भुगतान एक नज़र में	53-57



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वार्षिक लेखा एवं अंकक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय



सत्यमेव जयते

संख्या / No.....

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)
शाखा कार्यालय राजस्थान, जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit (Central)
Branch office Rajasthan, Janpath, Jaipur-302 005

दिनांक / Date.....

सेवा में,

सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
(माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली - 110001

विषय:- केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़, अजमेर के वर्ष 2012-13 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़, अजमेर के वर्ष 2012-13 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद संलग्न है।
- संसद के पटल पर उक्त पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तारीख सूचित करने का श्रम करें।
 - उक्त प्रतिवेदन का अंग्रेजी अनुवाद मय परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.10.2013 द्वारा पूर्व में ही जारी किया जा चुका है।
 - पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति की सूचना भिजवायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह/-

उप निदेशक/सी.आर.ए. II

क्रमांक:सी.आर.ए.II(व्यय)/एस.ए.आर./सी.यू.आर./2012-13/947 दिनांक: 14-11-2013

प्रतिलिपि प्रो. एम.एम. सालुंखे, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, बान्दरसिंदरी, किशनगढ़, अजमेर राजस्थान को इस कार्यालय के पूर्व पृष्ठांकन दिनांक 30.10.2013 की निरन्तरता में उक्त पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक/सी.आर.ए. II

Mahalekhakar Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
Phone/फोन : 0141-2385431-39
E-mail : brpdacahmedabad@cag.gov.in

महालेखाकार भवन, जनपथ, जयपुर-302005
फैक्स/Fax : 0141-2385038

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां, एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 31(1) के अंतर्गत हमने राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ अजमेर के 31 मार्च 2013 तक के संलग्न तुलन-पत्र एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां शामिल है। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम योजना बनाकर, लेखापरीक्षा कर समुचित सुनिश्चितता प्राप्त कर लें कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से रहित है। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जाँच करना, रकमों का समर्थन करने वाले और वित्तीय विवरणों में प्रकट साक्ष्यों की जाँच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- (i) हमने वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट हेतु जाँच किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखें तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखें महानियंत्रक लेखा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूपों में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारी राय में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियाँ और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रकट होता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 31(1) के अनुसार अनुरक्षित की गई है।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

लेखाओं पर टिप्पणियां

तुलन-पत्र

(क) दायित्व ₹ 272.57 करोड़

क1.1 कॉर्पस निधि ₹ 267.66 करोड़ (अनुसूची -1)

पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि ₹ 8000.00 लाख को राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कोष में दर्शाने की बजाय पूंजी निधि में वृद्धि दर्शायी गयी है। दूसरी ओर ऐसे अनुदानों से बनाई गई स्थायी संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष भलीभांति निकाला जा सकता है कि राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय सरकारी अनुदानों से सृजित स्थायी संपत्तियों के लेखाकरण संव्यवहार के लिये वैकल्पिक पद्धति का अनुसरण कर रहा है। यद्यपि, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान सरकारी अनुदानों से सृजित अचल संपत्तियों की राशि के बराबर राशि का हस्तांतरण अनुसूची 3 के अन्तर्गत स्थगित आय में नहीं किया है। यह सूचना दी गई कि राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी अनुदान की इस लेखाकरण प्रथा का अनुसरण इसकी स्थापना से ही किया जा रहा है।

इस तरह गैर आवर्ती अनुदानों से सृजित स्थिर संपत्तियों को ए.एस-12 (AS-12) के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु जारी वार्षिक खातों के एकरूप प्रारूप के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार लेखांकन नहीं करने के कारण पूंजीगत सम्पत्तियों हेतु निर्धारित कोष ₹ 8994.36 लाख से कम बताये जाने एवं कॉर्पस/पूंजीगत निधि ₹ 8994.36 लाख (994.36 + 8000) से अधिक बताये जाने में परिणामित हुआ।

(ख) सामान्य

विश्वविद्यालय अनुदान-वार पृथक बैंक खाते नहीं रख रहा है। अतः बैंक में अस्थायी तौर पर जमा करायी गयी अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज अनुदान-वार नहीं दर्शाया गया है।

(ग) सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इस संस्थान ने ₹ 100.31 करोड़ का अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त किया (₹ 25.00 करोड़ मार्च 2013 में प्राप्त हुए)। राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पास पिछले साल की अप्रयुक्त राशि ₹ 0.99 करोड़ उपलब्ध थी। वर्ष के दौरान राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने ₹ 3.24 करोड़ की आन्तरिक आय अर्जित की। इस प्रकार राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पास ₹ 104.54 करोड़ की कुल धनराशि उपलब्ध थी, जिसमें से राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 100.70 करोड़ खर्च किये जाने उपरान्त शेष अप्रयुक्त अनुदान राशि ₹ 3.84 करोड़ उपलब्ध थी।

(घ) लेखाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सकल प्रभाव-

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सकल प्रभाव शून्य है।

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

ड - प्रबन्धन-पत्र

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियां, उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए अलग से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन के ध्यान में लाई गई।

v- पिछले अनुच्छेदों में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट हेतु जांचे गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, लेखा-बहियों के अनुरूप है।

vi- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लेखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध में उल्लेखित अन्य मामलों के अध्यक्षीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:-

क- जहाँ तक यह 31 मार्च 2013 को राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर के कार्यों के तुलन-पत्र से सम्बंधित है।

ख- जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से सम्बंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

स्थान: जयपुर

दिनांक: 14.11.2013

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)


अहमदाबाद



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर) के वर्ष 2012-13 के लेखाओं पर
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबन्ध

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
 - (i) विश्वविद्यालय में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।
 - (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लेखाओं की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की जाती है।
 - (iii) आन्तरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई है।
2. आस्तियों का भौतिक सत्यापन-
वर्ष 2012-13 के लिए आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
3. माल सूची का भौतिक सत्यापन-
वर्ष 2012-13 के लिए माल सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है।
4. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता-
विश्वविद्यालय द्वारा वैधानिक देयताओं को नियमित तौर पर जमा करवाया जा रहा है।


व. लेखापरीक्षा अधिकारी
के.प्रा.ले.प. (व्यय)




राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

लेखापरीक्षा के सकल प्रभाव की विवरणी
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर) वर्ष 2012-13

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	टिप्पणियाँ	दायित्व		संपत्तियाँ		अधिशेष	
		अधिक बताए गए	कम बताए गए	अधिक बताए गए	कम बताए गए	अधिक बताए गए	कम बताए गए
1	क1.1	8994.36	8994.36	—	—	—	—
2	कुल योग	8994.36	8994.36	—	—	—	—

अधिशेष — शून्य
दायित्व — शून्य
संपत्तियाँ — शून्य


व. लेखापरीक्षा अधिकारी
के.प्रा.ले.प. (व्यय)



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

तुलन पत्र
31 मार्च 2013 तक

वार्षिक लेखा एवं अंकक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

तुलनपत्र दिनांक 31 मार्च 2013 तक

(राशि – रू. लाखों में)

निकायी / पूँजीगत कोष तथा देयताएँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
निकायी (कॉरपस) / पूँजीगत कोष	1	26,765.80	17,886.32
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
चिन्हित एवं स्थायी (एन्डोमेंट) कोष	3	15.09	25.11
प्रतिभूत ऋण और उधारियाँ	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधारियाँ	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	476.44	1,142.54
योग		27,257.33	19,053.97
सम्पतियाँ			
अचल सम्पतियाँ	8	9,586.39	4,463.04
चिन्हित कोषों / स्थायी कोषों (एन्डोमेंट) से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चल सम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	17,670.94	14,590.93
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डाले जाने या समायोजित किए जाने की सीमा तक)			
योग		27,257.33	19,053.97
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ	25		



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

आय तथा व्यय लेखा
दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

आय तथा व्यय लेखा 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि / वर्ष हेतु

(राशि – रू. लाखों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/परिदान	13	2,000.00	2,300.00
शुल्क/अंशदान	14	68.95	48.03
निवेशों से आय (चिन्हित कोषों/स्थायी कोषों (एंडोमेंट) के निवेशों से)	15	-	-
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	230.90	110.56
अन्य आय	18	23.75	14.61
तैयार उत्पाद के स्टॉक तथा जारी कार्यों (डब्ल्यूआईपी) में वृद्धि/कमी	19	-	-
योग (अ)		2,323.61	2,473.20
व्यय			
संस्थापनगत व्यय	20	827.45	396.85
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	379.42	464.24
अनुदान, परिदान आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष समाप्ति पर शुद्धयोग-अनुसूची आठ के अनुसार)		237.26	181.92
आय से अधिक व्यय का शेष (ए-बी)			
योग (ब)		1,444.13	1,043.01
आय से अधिक व्यय का शेष (ए-बी)		-	-
विशेष प्रारक्षित निधि को अन्तरित (प्रत्येक को स्पष्ट करें)		-	-
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अन्तरित		-	-
अधिशेष/कमी को निकायी (कॉरपस)/पूँजीगत कोष में ले जाया गया		879.48	1,430.19
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 – निकायी (कॉरपस)/पूँजीगत कोष

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
वर्ष के आरम्भ में शेष	17,886.32	26,765.80	6,580.10	
जोड़े : निकायी (कॉरपस)/पूँजीगत कोष में अंशदान	8,000.00		9,900.00	
जोड़े/घटायें) : आय तथा व्यय लेखा से अंतरित शुद्धआय/ (व्यय) का शेष	879.48		1,430.19 (23.97)	17,886.32
वर्ष के अंत में शेष		26,765.80		17,886.32

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
1. पूँजीगत प्रारक्षित:		-		-
विगत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-		-	
घटायें – वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
2. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित		-		-
विगत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-		-	
घटायें – वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
3. विशेष प्रारक्षित		-		-
विगत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ा	-		-	
घटायें – वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
4. विशेष प्रारक्षित		-		-
विगत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ा	-		-	
घटायें – वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
योग				



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 – चिन्हित/स्थायी (एन्डोमेंट) कोष

(राशि – रू. लाखों में)

	निधिवार वर्गीकरण				कुल	
	मैरिट स्कोलर कोष	छात्र सहायता कोष	कोष	कोष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ) कोष का आरम्भिक शेष	25.11	-	-	-	25.11	3.5
ब) कोष में योगदान						
1. दान/अनुदान (मैरिट छात्रवृत्तियों हेतु निकायी (कॉरपस) कोष)	-	-	-	-	-	-
2. कोषों के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
3. अन्य योगदान (विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क)	-	0.37	-	-	0.37	26.46
योग (अ+ब)	25.11	0.37			25.48	29.96
स) कोषों के उद्देश्यानु रूप उपयोग/व्यय						
1. पूँजीगत व्यय						
– अचल सम्पतियाँ	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी तथा भत्ते, आदि	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य (प्रशासनिक व्यय)	-	-	-	-	-	-
– मैरिट छात्रवृत्तियों हेतु भुगतान	10.39	-	-	-	10.39	4.85
योग						
योग (स)	10.39	-	-	-	10.39	4.85
वर्ष समाप्ति पर शुद्ध शेष (अ+ब+स)	14.72	0.37			15.09	25.11



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधारियाँ

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थानों				
अ. आवधिक ऋण	-	-	-	-
ब. उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक				
अ. आवधिक ऋण				
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
ब. अन्य ऋण (स्पष्ट करें)				
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थानों और अभिकरणों	-	-	-	-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-	-	-
7. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
	योग	-	-	-
टिप्पणी : एक वर्ष में देय राशि	-	-	-	-



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण और उधारियाँ

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
अ. आवधिक ऋण	-	-
ब. अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण	-	-
6. ऋण पत्र एवं बॉण्ड्स	-	-
7. सावधि जमाएँ	-	-
8. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
	योग	-
टिप्पणी: एक वर्ष में देय राशियाँ	-	-

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएँ

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ. पूँजीगत उपकरणों तथा अन्य सम्पतियों के दृष्टिबंधन द्वारा प्रत्याभूत अभिस्वीकृतियाँ	-	-
ब. अन्य – वारंटी रखरखाव (प्रतिभूति जमाएँ)	-	-
	योग	-



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

(राशि – रु. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
अ. वर्तमान देयताएँ				
1. अभिस्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार		171.61		1,003.95
अ. वस्तुओं के लिये और सेवाओं के लिये (परिशिष्ट 1)	128.86		1,003.95	
ब. अन्य (परिशिष्ट 2)	42.75		-	
3. अग्रिम प्राप्तियाँ		-		-
4. निम्न पर उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं		-		-
अ. प्रतिभूत ऋण/उधारियाँ	-		-	
ब. अप्रतिभूत ऋण/उधारियाँ	-		-	
5. सांविधिक देयताएँ		82.95		13.46
अ. अतिदेय	-		-	
ब. अन्य- (परिशिष्ट-3)	82.95		13.46	
6. अन्य वर्तमान देयताएं (परिशिष्ट-4)		133.47		83.21
योग (अ)		388.03		1,100.62
ब. प्रावधान				
1. कराधान हेतु		-		-
2. ग्रेच्युटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		19.95		-
5. व्यापार वारंटियाँ/दावे		-		-
6. अन्य (परिशिष्ट-5)		68.46		41.93
योग (ब)		88.41		41.93
योग (अ+ब)		476.44		1,142.54



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 – स्थायी सम्पतियाँ

(राशि – रु. लाखों में)

विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के दौरान प्रारम्भ पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति	वर्ष जोड़ा गया	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	सम्पतियों के निस्तारण पर समायोजित मूल्यांकन	वर्ष समाप्ति	वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर	विगत वर्ष की समाप्ति पर
अ. अचल सम्पतियाँ										
1. भूमि										
अ – फ्री होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब – लीज पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
अ – फ्री होल्ड भूमि पर	87.85		87.85	4.42	8.34			12.76	75.09	83.43
ब – लीज भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स – मालिकाना हक वाले प्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द – संस्था से असम्बद्ध भूमि पर संरचनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	215.63	348.75	-	564.38	22.25	41.71	-	63.96	500.42	193.38
4. वाहन	42.30	0.68	-	42.98	6.27	5.42	-	11.69	31.29	36.03
5. फर्नीचर, फिक्चर	571.50	120.61	-	692.11	27.84	58.28	-	86.12	605.99	543.66
6. कार्यालय उपकरण	28.39	3.32	-	31.71	5.73	2.55	-	8.28	23.43	22.66
7. कम्प्यूटर/सम्बन्धित उपकरण	178.27	176.92	0.60	354.59	105.10	71.61	0.01	176.63	177.96	73.17
8. बिजली संस्थापन	4.28	-	-	4.28	0.06	0.63	-	0.69	3.59	4.22
9. पुस्तकालय पुस्तकें	112.72	73.46	-	186.18	75.07	48.48	-	123.55	62.63	37.65
10. ट्यूबवैल तथा जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी सम्पतियाँ	0.21	3.56	-	3.77	0.05	0.22	-	0.27	3.50	0.16
12. कीमती सम्पतियाँ	-	3.52	-	3.52	-	-	-	-	3.52	-
वर्तमान वर्ष का योग	1,241.15	730.83	0.60	1,971.38	246.79	237.30	0.01	483.96	1,487.42	944.36
विगत वर्ष	275.54	979.33	13.72	1,241.15	66.57	180.20	-	248.49	994.36	208.97
ब – पूंजीगत कार्य प्रगति पर									8,098.97	3414
स – ट्रांजिट के अधिन सम्पति								योग	9,586.39	4,463.04

टिप्पणी :- विगत वर्ष में, सम्पतियों के निस्तारण के कारण, उपरोक्त में दिखाये गये वर्ष के प्रारम्भ में मूल्य छस में रूपये 1.70 लाख का अन्तर था जिसका उचित प्रस्तुतिकरण विगत वर्ष में नहीं किया गया था। उपरोक्त में विगत वर्ष की राशी को उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर सही रूप से प्रस्तुत किया गया है।



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 – चिन्हित कोषों/स्थायी कोषों (एंडोमेंट) से निवेश

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शयेर	-	-
4. ऋण पत्र एवं बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक इकाइयाँ एवं सुयुक्त जोखिम (वंचर्स)	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शयेर	-	-
4. ऋण पत्र एवं बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक इकाइयाँ एवं सुयुक्त जोखिम (वंचर्स)	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 – चल सम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि – रू. लाखों में)

अ. चल सम्पतियाँ	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
1. भण्डारण		-		-
अ – स्टोर्स एवं स्पेयर्स	-		-	
ब – फुटकर औजार	-		-	
स – व्यापार में स्टॉक				
तैयार माल	-		-	
कार्य प्रगति पर	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. विविध देनदारियाँ (परिशिष्ट-6)		24.78		25.41
अ – छः माहे से अधिक अतिदेय ऋण	9.14		25.41	
ब – अन्य	15.64		-	
3. हस्तगत नकदी शेष (चैकों, मांगड्राफ्टों तथा पेशगी सहित)	1.51	1.51	-	-
4. बैंक शेष (परिशिष्ट-7 के अनुसार)		818.93		1,226.02
अ – अनुसूचित बैंकों के साथ	-		-	
– चालू खातों में	-		-	
– जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	-		-	
– बचत खातों में	818.93		1,226.02	
ब – गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-		-	
– चालू खातों में	-		-	
– जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	-		-	
– बचत खातों में	-		-	
5. डाकघर – बचतखाता		-		-
6. ऋण एवं अग्रिम (परिशिष्ट – 8)	12.84	12.84	7.32	7.32
7. जमाएँ (परिशिष्ट – 9)	16,691.17	16,691.17	13,255.15	13,255.15
8. उपार्जित ब्याज	73.91	73.91	34.79	34.79
9. पूर्वभूगतान व्यय (परिशिष्ट – 10)	44.61	44.61	18.98	18.98
10. प्राप्तीयोग्य स्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.)	0.44	0.44	0.44	0.44
11. प्रयोजित परियोजनाएँ (परिशिष्ट – 11)	-	2.75	-	22.82
योग (अ)		17,670.94		14,590.93

जारी ...



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 – चल सम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
ब – ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पतियाँ				
1. ऋण		-		-
अ – कर्मचारी	-		-	
ब – मूल संस्था के समान कार्यों/लक्ष्यों से जुड़ी अन्य इकाइयाँ	-		-	
स – अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
2. नकदी तथा वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाली अग्रिम या अन्य राशियाँ		-		-
अ – पूँजीगत खातों पर	-		-	
ब – पूर्व भूगतान	-		-	
स – अन्य	-		-	
3. उपार्जित आय		-		-
अ – चिन्हित/स्थायी निधियों से किये निवेशों पर	-		-	
ब – निवेशों पर-अन्य	-		-	
स – ऋणों तथा अग्रिमों पर	-		-	
द – अन्य (बैंक ब्याज)	-		-	
(देय लेकिन वसूल न हो सकी आय सहित रू0.....)				
4. प्राप्त होने वाले दावे		-		-
	योग (ब)	-		-
	योग (अ+ब)	17,670.94		14,590.93



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियां



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची 12 – विक्रय/सेवाओं से आय

(राशि – रु. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. विक्रय से प्राप्त आय	-	-
अ – तैयार उत्पादों की बिक्री	-	-
ब – कच्चे माल की बिक्री	-	-
स – अवशेष माल की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
अ – मजदूरी तथा प्रोसेसिंग प्रभार	-	-
ब – व्यासयिक/परामर्श सेवायें	-	-
स – एजेंसी कमीशन तथा दलाली	-	-
द – रखरखाव संवाएं (उपकरण एवं सम्पत्ति)	-	-
य – अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग		

अनुसूची 13 – अनुदान/परिदान (सब्सिडी)

(राशि – रु. लाखों में)

(अप्रत्यादेय अनुदान तथा परिदान की प्राप्त राशि)		
1. केन्द्र सरकार	2,000.00	2,300.00
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी इकाइयाँ	-	-
5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	2,000.00	2,300.00



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान

(राशि – रु. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
परिशिष्ट-12 के अनुसार		
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / सदस्यता शुल्क	45.95	31.74
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य – विदेशी पंजीकरण शुल्क	23.00	16.29
योग	68.95	48.03

टिप्पणी-प्रत्येक मद हेतु संबंधित लेखा नीतियाँ स्पष्ट की जायें

अनुसूची 15 – निवेशों से आय (चिन्हित कोषों / स्थायी कोषों (एंडोमेंट) के निवेशों से)

(राशि – रु. लाखों में)

निवेश (चिन्हित / स्थायी कोषों में से किये निवेशों पर प्राप्त आय तथा निधियों में अन्तरित आय)	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश-अन्य	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. ब्याज				
अ – सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ब – अन्य बॉण्ड्स / ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश				
अ – शेयरों पर	-	-	-	-
ब – म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
चिन्हित / स्थायी (एंडोमेंट) निधियों को अन्तरित				



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि – रु. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

(राशि – रु. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. सावधिक जमाओं पर –		
अ. अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ब. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
स. अन्य संस्थाओं के साथ	-	-
द. अन्य	-	-
2. बचत खातों पर –		
अ. अनुसूचित बैंकों के साथ	230.90	110.56
ब. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
स. डाकघर बचत खते	-	-
द. अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
अ. कर्मचारी / स्टॉफ	-	-
ब. अन्य	-	-
4. लेनदारियों पर तथा अन्य प्राप्तियाँ ब्याज	-	-
योग	230.90	110.56



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 – अन्य आय (परिशिष्ट-13)

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
अ – स्वयं की सम्पत्तियाँ	0.07	(0.45)
ब – अनुदान से अर्जित अथवा निः शुल्क प्राप्त सम्पत्तियाँ	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति	-	-
3. विविध सेवाओं के लिये शुल्क	-	-
4. विविध आय	23.68	15.06
योग	23.75	14.61

अनुसूची 19 – तैयार उत्पाद के स्टोक तथा जारी कार्यों (डब्ल्यूआईपी) में वृद्धि/कमी (राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ – अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– प्रगति पर कार्य	-	-
ब – घटायें-परिचालनगत स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– प्रगति पर कार्य	-	-
शुद्धवृद्धि/(कमी) (अ-ब)	-	-

अनुसूची 20 – संस्थापनगत व्यय (परिशिष्ट-14)

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ – वेतन तथा मजदूरी	443.55	352.19
ब – भत्ते तथा बोनस (अंतरित अनुदान तथा पैकिंग भत्ते)	324.35	37.35
स – भविष्य निधि में अंशदान	-	-
द – अन्य निधियों में अंशदान एनपीएस तथा पेंशन निधि	29.05	4.80
य – स्टाफ कल्याण व्यय	10.05	2.51
र – कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवा समाप्ति के परिलाभों पर व्यय	20.45	-
व – अन्य ई.एल नकदीकरण	-	-
योग	827.45	396.85



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि – रु. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
परीशिष्ट-15		
1. खरीद	22.93	5.13
2. मजदूरी तथा प्रोसेसिंग व्यय	-	-
3. आवक वाहन तथा दुलाई	0.59	-
4. बिजली तथा ऊर्जा	56.36	24.20
5. जल प्रभार	0.60	1.63
6. बीमा	0.75	0.75
7. मरम्मत एवं रखरखाव	8.13	3.00
8. उत्पाद शुल्क	-	3.42
9. किराया, दर एवं कर	0.76	80.79
10. वाहन संचालक तथा रखरखाव	10.03	5.62
11. डाक, टेलीफोन तथा सम्प्रेषण प्रभार	12.95	7.88
12. छपाई तथा वाहन व्यय	13.18	9.21
13. यात्रा तथा वाहन व्यय	19.01	14.14
14. संगोष्ठियों / कार्यशालाओं पर व्यय	11.86	44.26
15. सदस्यता शुल्क व्यय	33.51	26.61
16. शुल्क संबंधी व्यय	-	-
17. लेखाकारों को मानदेय	-	0.29
18. स्वागसत्कार व्यय	2.29	4.58
19. व्यावसायिक प्रभार	6.46	66.14
20. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	-
21. बट्टे खाते डाले गये अप्रत्यादेय शेष	-	-
22. पैकिंग प्रभार	-	-
23. प्रेषण एवं अग्रेषण व्यय	0.11	0.78
24. वितरण व्यय	-	-
25. विज्ञापन एवं प्रचार	36.69	23.20
26. अन्य (स्पष्ट करें)	143.21	142.61
अकदमिक पाठ्यक्रम संचालन व्यय	-	-
विविध व्यय	-	-
कार्यालय व्यय	-	-
योग	379.42	464.24

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 तक समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – अनुदान, परिदान आदि पर व्यय

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ – संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ब – संस्थानों/संगठनों को दिया गया परिदान	-	-
योग	-	-
टिप्पणी : अनुदान और परिदान दी जाने वाली संस्था का नाम और गतिविधियों के बारे में विवरण।		

अनुसूची 23 – ब्याज

(राशि – रू. लाखों में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ – सावधि ऋणों पर	-	-
ब – अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
स – अन्य – बैंक प्रभार	-	-
योग	-	-



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

खातों की अनुसूचियां



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.	लेखाकरण प्रथा वित्तीय विवरणियाँ ऐतिहासिक लागत प्रथाओं (अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो) तथा लेखाकरण की उपचति पद्धति के आधार पर तैयार की गई हैं।
2.	मालसूची मूल्यांकन 2.1 स्टोर्स तथा स्पेयर्स (मशीनरी के स्पेयर्स) को लागत पर मूल्यांकित किया गया है। 2.2 कच्चे माल, अधूरे तैयार माल तथा तैयार माल को कम लागत पर तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। ये लागतें विचारपूर्ण औसत लागत पर आधारित हैं। तैयार माल तथा अधूरे तैयार माल की लागतें, माल मजदूरी तथा संबंधित खर्चों को ध्यान में रखते हुए तय ही गई है।
3.	निवेश 3.1 'दीर्घ अवधि निवेशों' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर लिये गये हैं। अस्थायी कमियों के अलावा अन्य कमियों के लिये ऐसे निवेशों की ली गई लागत में प्रावधान किया गया है। 3.2 'वर्तमान निवेश के रूप में वर्गीकृत निवेश, कमतर तथा समुचित मूल्य पर लिये गये हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान किये गये हैं तथा ऐसा करते हुये प्रत्येक निवेश पर व्यक्तिषः ध्यान दिया गया है, न कि इसे सामूहिक आधार पर तय किया गया है। 3.3 लागत में अधिग्रहण व्यय, यथा दलाली, अन्तरण स्टाम्पस आदि शामिल हैं।
4.	उत्पादशुल्क इकाई द्वारा उत्पादित वस्तुओं, निर्यात हेतु उत्पादित माल के अलावा, के लिये उत्पादशुल्क की देयताएं निर्माण के पूरा हो जाने पर रेखांकित की गई हैं तथा वर्ष समाप्ति तक उत्पादशुल्क लगने योग्य निर्मित वस्तुओं के लिये प्रावधान किया गया है।
5.	स्थायी परिसम्पतियाँ 5.1 स्थायी परिसम्पतियों का प्रारम्भ आवक माल भाड़ा, शुल्कों तथा करों, अधिग्रहण संबंधी प्रत्यक्ष एवं प्रासंगिक व्ययों सहित अधिग्रहण लागत पर किया गया है। निर्माण से जुड़े प्रकल्पों के संबंध में पूर्व परिचालनगत व्यय (किसी विशेष प्रकल्प की कार्यसमाप्ति से पूर्व लिये गये ऋणों पर ब्याज सहित) को पूँजीकृत परिसम्पति के मूल्य का भाग बनाया है। 5.2 गैर वित्तीय अनुदानों (निकायी निधियों के अलावा) से प्राप्त स्थायी परिसम्पतियों को बताये गये मूल्य पर पूँजीगत प्रारक्षित में शामिल करते हुए पूँजीकृत किया गया है।
6.	मूल्य ह्रास 6.1 मूल्य ह्रास के प्रावधान, आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार व्यवस्थित तर्कसंगत पद्धति से किये गये हैं तथापि लागत समायोजन में मूल्य ह्रास के ऐसे मामलों को छोड़ दिया गया है, जिनमें स्थायी परिसम्पतियों के अधिग्रहण हेतु विदेशी मुद्रा के रूपांतरण की वजह से देयतायें उत्पन्न हुई हैं तथा जहाँ संबंधित परिसम्पतियों की शेष रही उपयोग अवधि के ऊपर परिषोधित किया गया है।

जारी ...



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

	<p>6.2 वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पतियों में वृद्धि अथवा कटौती के मामलों में यथानुपात आधार पर मूल्य ह्रास तय किय गया हैं।</p> <p>6.3 रुपये 5,000 तथा उससे कम लागत की प्रत्येक परिसम्पति हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया हैं।</p>
7.	<p>विविध व्यय</p> <p>व्यय किये जाने के वर्ष से लेकर पाँच वर्षों तक की अवधि के आस्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते डाला गया है।</p>
8.	<p>राजस्व पहचान हेतु लेखाकरण</p> <p>समस्त अकादमिक प्राप्तियों का लेखा यथा छात्र शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि नकदी आधार पर लेखाकृत किये गये हैं तथा अन्य लेखा लेन-देन उपचित आधार पर किये गये हैं।</p>
9.	<p>सरकारी अनुदान/परिदान</p> <p>9.1 प्रकल्प की स्थापना की पूँजीगत लागत के अंशदान के रूप में मिलने वाले सरकारी अनुदान को प्रारक्षित पूँजी के रूप में लिया गया है।</p> <p>9.2 अधिग्रहित की गई विषेय स्थायी परिसम्पतियों संबंधी को संबंधित परिसम्पतियों की लागत में से कटौती के रूप में दिखाया गया है।</p> <p>9.3 सरकारी अनुदान/परिदान को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखाकृत किया गया हैं।</p>
10.	<p>विदेशी मुद्रा लेन-देन</p> <p>10.1 विदेशी मुद्रा में किये गये लेनदेन की तारीख की विनिमय दरों पर लेखकृत किया गया है।</p> <p>10.2 वर्तमान परिसम्पतियों, विदेशी मुद्रा ऋण तथा वर्तमान देयताओं को वर्ष की समाप्ति लागू विनियम दरों पर रूपांतरित किय गया है तथा परिणामस्वरूप हुये लाभ/हानि को स्थायी परिसम्पतियों की लागत समायोजित किया गया है। बर्षों कि विदेशी देयता स्थायी परिसम्पति से संबंधित हो तथा दूसरे मामलों में इसे राजस्व में शामिल किया गया है।</p>
11.	<p>लीज</p> <p>लीज किराये लीज की शर्तों के संदर्भ में विस्तारित किये गये हैं।</p>
12.	<p>सेवानिवृत्ति परिलाभ</p> <p>12.1 कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी संबंधी देयतायें एक्चुरियल मूल्यांकन पर उपार्जित एवं आधारित है।</p> <p>12.2 कर्मचारियों के लाभार्थ उपार्जित अवकाय नकदीकरण का प्रावधान उपचित एवं इस अवधारणा पर परिकलित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारी उक्त परिलाभ पाने के हकदार है।</p> <p>12.3 न्यू पेंशन स्कीम के तहत अंशदान को उपार्जित आधार पर इन्द्राज किया गया है।</p>



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 – आकस्मिक दयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

<p>1. आकस्मिक देयताएं</p> <p>1.1 इकाइयाँ, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, के संबंध में दावे रू.-शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)</p> <p>1.2 निम्न के संबंध में</p> <ul style="list-style-type: none">– इकाई द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटी—रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)– इकाई की ओर से बैंक द्वारा खोला गया साख पत्र —रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)– बैंक के साथ बट्टाकृत बिल —रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य) <p>1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग</p> <ul style="list-style-type: none">– आयकर—रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)– बिक्रीकर —रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)–नगरपालिका संबंधी कर —रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य) <p>1.4 आदेशों का निष्पादन नहीं किये जाने तथा इकाई द्वारा दावा किये जाने पर पार्टियों से दावों के संबंध में —रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)</p>
<p>2. पूँजीगत वचनबद्धताएं</p> <p>संविदाओं का अनुमानित मूल्य, जिसे पूँजी खाते में निष्पादित किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (शुद्ध अग्रिम) —रू. शून्य (विगत वर्ष रू.-शून्य)।</p>
<p>3. लीज अनुबंध</p> <p>संयंत्र तथा मशीनरी हेतु वित्तीय लीज व्यवस्थाओं के अंतर्गत किराये संबंधी की राशि —रू. शून्य(विगत वर्ष रू. —शून्य)</p>
<p>4. वर्तमान परिसम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम</p> <p>प्रबंधन की राय के अनुसार वर्तमान परिसम्पतियों, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली पर मूल्य, सामान्य व्यावसायिक स्थितियों में, तुलन पत्र में प्रदर्शित समग्र मूल्य के लगभग बराबर हैं।</p>
<p>5. कराधान</p> <p>आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई कर योग्य आय नहीं हैं। अतः आयकर हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं माना गया है।</p>



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 – आकस्मिक दयताएं और लेखाओं पर टिप्पणीयाँ

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
6. विदेशी मुद्रा लेनदेन		
6.1 सी.आई.एफ. के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य		
– तैयार उत्पादों की खरीद	-	-
– कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ माल सहित)	-	-
– पूँजीगत उत्पाद	163.68	-
– स्टोर्स, स्पेयर्स तथा उपभोग्य वस्तुए	-	-
6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय		
अ. यात्रा	-	-
ब. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किये धन प्रेषण तथा ब्याज का भुगतान	-	-
स. अन्य व्यय		
– बिक्री पर कमीशन	-	-
– विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	1.25	-
– विविध व्यय	-	-
6.3 उपार्जन		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	-	-
6.4 लेखा परीक्षकों को मानदेय		
लेखा परीक्षकों को मानदेय		
– कराधान मामले	-	-
– प्रबंधन सेवाओं हेत	-	-
– प्रमाणीकरण हेत	-	-
7. अन्य		
7.1 विगत वर्ष से संबद्ध आंकड़ों को यथावश्यक रूप से पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।		
7.2 निम्न बैंक खातों पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया।		
बैंक खाता संख्या	अंतिम शेष (राशि रु. लाख में)	
666710210000001	12.36	
666110210000003	136.60	



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 – आकस्मिक दयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

- 7.3 आर के पाटनी राजकीय महाविद्यालय को अभी तक देय किराया – रू. 67.79 लाख
 - 7.4 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर गेच्युटी हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया।
 - 7.5 पी. जी. राजकीय महाविद्यालय को अग्रिम भुगतान दिनांक 14.09.2010 राशि रू. 0.24 लाख और कार्यशील महिला छात्रावास को अग्रिम भुगतान दिनांक 14.09.2010 राशि रू. 0.39 मिलान हेतु बकाया है।
8. क्रमांक 1 से 25 तक की अनुसूचियाँ 31 मार्च 2013 तक के तुलन पत्र तथा वर्ष समाप्ति पर आय एवं व्यय खातों से सम्बन्धित हैं तथा तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाते के परिशिष्ट



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विविध लेनदार वस्तुओं के लिए और सेवाओं के लिए

परिशिष्ट-1

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक (राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
देय बिल	39.06	
अग्रिम राजदीपक रस्तोगी	0.14	
रजिलेन्ट टेक्नोलोजी इण्डिया प्रा. लि. मुंबई	2.30	
अनिल ट्रेल्स	0.10	
अनिता शर्मा	0.01	
सीयूराज मैस सं.1	0.45	
काला एन्टरप्राइजेज	0.77	
कन्हैया त्रिपाठी	0.00	
Leica Microsysteme Vertrieb GmbH Germany	26.67	
लिबसिस कॉरपोरेशन	0.10	0.10
गीता शर्मा	0.01	
नन्द किशोर	0.01	
नीरोज अजमेर	0.65	
NSDL, ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	0.03	
पिकी पारीक	0.00	
प्रमोद मीना	0.04	
प्रिया शर्मा	0.01	
राजवीर होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा.लि.	0.05	
रॉयल अमर होटल	0.03	
रॉयल हेरिटेज होटल, किशनगढ़	0.04	
एस.एन. अम्बेडकर	0.29	
सुजाता एन्टरप्राइजेज, जयपुर	0.45	
स्वाद री ढाणी, प्रा.लि.	0.10	
सिस्टम्स एण्ड सर्विसेज	0.80	
थर्मो कोन इंस्ट्रुमेंट्स प्रा.लि. बंगलौर	0.40	
थर्मो फिशर साईटिफिक ओवाई फिनलैण्ड-ई	5.56	
केन्द्रिय भण्डार	5.83	
मेट्रो टेडिंग कॉरपोरेशन	0.55	
मै. मार्क टेक सोल्यूशन्स प्रा.लि. पंजाब	0.28	
रिशिका मार्केटिंग	8.08	13.08
यू. एमसी ग्रीन टेक्नोलोजीस (1) प्रा.लि.	2.72	
एनआईआईटी जीआईएस लिमिटेड	4.86	
द साइन्स पैलेस	0.46	
मै.बाठिया एण्ड कम्पनी प्रा.लि.	-	3.51
मै. राजस्थान केन्द्रीय भण्डार प्रा.लि.	-	2.82
मै. एगलेंट टेक इंड, प्रा.लि.	-	2.30
छात्रों की जमाएं	7.34	4.51
पीएचडी छात्रों की जमाएं	0.80	-
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (सूचि अनुसार)	7.18	-
प्राप्त ईएमडी (सूचि अनुसार)	50.39	21.44
सिक्योरिटी जमा वारंटमेंट (सूचि अनुसार)	1.32	1.51

जारी ...



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विविध लेनदार वस्तुओं के लिए और सेवाओं के लिए

परिशिष्ट - 1

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक (राशि - रू. लाखों में)

सीपीडब्लूडी अजमेर को देय	-	900
पूँजीमाल ट्रिनसिस्ट में	-	54.68
कुल योग	128.85	1003.95



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विविध लेनदार अन्य

परिशिष्ट - 2

1 अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक (राशि - रू. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
मैस अग्रिम	2.77	
छात्रों को परावर्तनीय रकम (रिफाण्ड)	0.05	
सीयूसीईटी 2013 में रिकवरी योग्य रकम	0.37	
मै. श्रोडिंजर एलएलसी		
सोसायटी फॉर टैक. इनोवेशन एण्ड एन्डर सप्लाइ (स्टाईड)		
रंजन राज	0.17	
कुल योग	42.74	0.00



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संविधिक देयताएँ अन्य

परिशिष्ट - 3

1 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013 तक (राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-13	2011-12
एनपीएस में नियोक्ता अंशदान	30.35	3.48
एनपीएस में कर्मचारी योगदान	29.97	3.48
जीपीएफ में कर्मचारी योगदान	0.04	0.06
एसआई में कर्मचारी योगदान	0.13	0.00
जीपीएफ ऋण	0.3	0.00
एचबी ऋण	0.04	0.04
रेमिटेंस हेतु एनपीएस	1.14	0.04
स्रोत पर काटे गये कर	7.36	5.92
सीपीएफ देयता	9.34	0.00
ग्रेच्युटी देयता	3.03	0.00
अवकाश वेतन देयता	1.25	0.00
कार ऋण अग्रिम	0.00	0.10
जीडब्लूएफ में कर्मचारी योगदान	0.00	0.00
पीएफ में कर्मचारी योगदान	0.00	0.03
जीआईएस में कर्मचारी योगदान	0.00	0.15
एसआईएसटी में कर्मचारी योगदान	0.00	0.00
पीएफ ऋण	0.00	0.12
क्वार्टर किराया	0.00	0.03
आरईएमबीएस	0.00	0.01
आरपीएमएफ	0.00	0.00
पानी व बिजली	0.00	0.00
कुल योग	82.95	13.46



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अन्य वर्तमान देयता

परिशिष्ट - 4

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रू. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
टेलिफोन व्यय	0.98	0.22
किराया दर एवं टेक्स	67.79	67.79
बिजली पानी व्यय	5.16	0.94
रेकरिंग व्यय में देयता शेष	0.00	
पेड़ व पौधारोपण हेतु देय	6.37	
अतिथि संकाय को भत्ता	0.06	
नॉन जेआरएफ छात्रों को देय अध्ययेता वृत्ति	3.13	
अतिथि संकाय को मानदेय	0.15	
स्टाफ का पुनर्भरण	0.82	
पाठ्यचर्या समिति मीटिंग व्यय	0.31	
अनुदान सहायता		
एन्हांसिंग स्कोलर/फेकल्टी ईएनसीओआरई (एन्कोर)	14.26	14.26
फेलोशिप स्को नौननैट/ एमफिल/पीएचडी	3.12	
एकीकृत योजनान्तर्गत	13.70	
प्रायोजित परियोजना हेतु प्राप्तियां		
कम्यूनिटी संसाधन एवं एलायन्स मीटिंग	1.22	
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	2.10	
रिसर्च प्रोजेक्ट डॉ. डीसी शर्मा सॉलिड वेस्ट	7.29	
प्रायोजित योजना प्रो. एपी. सिंह, एटीएम एनालिसिस	7.00	
कुल योग	133.46	83.21

प्रावधान - अन्य

परिशिष्ट - 5

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रू. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
तनस्व्वाह देय	56.21	36.24
डीए देय	7.6	3.94
कार्यशाला एवं कान्फ्रेंस व्यय	-	0.52
एलटीए	-	0.23
यात्रा भत्ता	0.43	0.00
बालक शिक्षा भत्ता	0.14	0.00
चिकित्सा बिल पुनर्भरण	1.06	0.00
सुरक्षा खर्च देय	3.03	1.00
कुल योग	68.46	41.93

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विविध देनदारियाँ – छः माह से अधिक अतिदेय ऋण परिशिष्ट – 6

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013

(राशि – रू. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
सप्लाई/सेवाओं के विविध देनदार	1.79	-
6 माह से अधिक		
मैं. ग्रन्थालय विज्ञान	0.03	-
मैं. लाल एसोसिएट्स, अजमेर	1.76	-
क्लासिक टूर एण्ड ट्रेवल्स	-	0.58
सीयूसीईटी 2012	-	5.00
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0.24	0.24
स्टॉफ रिकवरियाँ	0.00	-
TECHCOMP (टैककॉम्प)	6.72	-
कार्यशील महिला छात्रावास	0.39	0.39
मैं. पकिंन एल्मर प्रा.लि.		19.10
कस्टम कलीयरिंग हेतु सीएचएस	-	-
स्टाईड	-	0.10
कुल योग	9.14	25.41

विविध देनदारियाँ – अन्य

परिशिष्ट – 6

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013

विवरण	2012-2013	2011-2012
सप्लाई/सेवाओं के विविध देनदार		-
6 माह से कम		
सीयूसीईटी 2012	15.00	-
बैंक से प्राप्त किराया	0.64	-
कुल योग	15.64	

बैंक शेष

परिशिष्ट – 7

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013

विवरण	2012-2013	2011-2012
बीओआई एसबी 666110210000002	609.00	246.26
बीओआई एसबी 666110210000002 (ग्रांट अन्डर ट्रांसिट)	0.00	900.00
बीओआई एसबी 666110210000003	136.60	31.37
बीओआई एसबी 666710210000001 मेरिट स्कोलरशिप	12.36	22.78
एसबीबीजे 61126420190 (एनपीएस)	54.84	5.71
एसबीबीजे 61126421728 (मेरिट स्कोलरशिप)	0.25	0.23
एसबीबीजे बैंक ए/सी 61128875838	2.76	9.66
एसबीबीजे सचिवालय – एसबी 61068625501	3.12	10.00
कुल योग	818.93	1226.01



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

ऋण एवं अग्रिम

परिशिष्ट - 8

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
व्यय हेतु अग्रिम	0.5	0.50
पोस्ट मास्टर किशनगढ़	0.5	0.50
अग्रिम	10.63	5.03
एयरटेल 9829130025	0.05	0.05
अनिल दीवान	0.1	0.10
अशोक गौड	0.1	0.10
भारतीय विश्वविद्यालय संगठन	0.06	0.06
भागचन्द जैन	0.08	-
कॉन्टीनेन्टल कैरियर प्रा.लि.	4.16	-
निदेशक एलडीपीई, जयपुर	2.56	2.56
होटल ला मेरिडियन, जयपुर	0.32	-
आईसीजीसी 2012	-	1.37
कुन्दन सिंह चौहान	0.15	0.06
लन्दन बुक डिपो	0.1	0.10
माईक्रोमैप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रा.लि.	0.11	-
नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि.	-	-
ओरिएन्टल इन्श्योरेंस रिपोर्टर	0.19	-
सूचना का अधिकार रिपोर्टर	0.04	-
सचिव, मगर राजस्थान क्रियान्वयन समिति	0.3	-
सुरेश कुमावत	0.19	-
ट्रैक कार्गो, प्रा.लि.	1.49	-
अग्रिम सीएचए	0.64	0.64
		-
मैस अग्रिम	-	0.05
	-	
कार्यालय खर्च हेतु स्टॉफ को अग्रिम	1.59	1.73
अनुराधा मित्तल	0.00	0.00
एपी सिंह	-	0.00
चैतन्य शर्मा	0.36	-
देवेन्द्र माथुर	-	0.03
देवेश शर्मा	-	0.00
गणपत	-	0.00
गिर्राज प्रसाद शर्मा	-	0.01
जीएस श्रीवास्तव	-	0.08
हंसा जैन	0.00	0.05
हरी सिंह परिहार	-	0.01
हेमलता मिगलानी	-	0.05

जारी ...

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

ऋण एवं अग्रिम

परिशिष्ट - 8

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रू. लाखों में)

जुगल किशोर प्रजापत	-	0.41
महेश्वर पाण्डा	0.03	0.13
ममता रानी	0.05	-
नथमल	0.05	0.05
नवीन कुमार शर्मा	-	0.08
एन.डी. माथुर	0.00	-
एन.लक्ष्मी अय्यर	0.11	-
प्रमोद कुमारी	0.00	-
रवि सहारन	-	0.05
रितु राय	0.00	0.00
आरएन रथियाली	-	0.06
आर आर पाटिल	0.93	-
श्याम सिंह	0.05	0.05
संजय गर्ग	-	0.32
संजय कुमार	-	0.04
सुरेश देमन	-	0.28
वैभव	-	0.00
विवेकानन्द तिवारी	-	0.04
	-	-
केन्द्रीय न्यूज एजेन्सी, नई दिल्ली	0.08	-
	-	-
त्यौहार अग्रिम	0.04	-
मंगल चन्द	0.04	-
स्थायी अग्रिम	0.00	0.00
एच.जे.वामन	0.00	0.00
कुल योग	12.84	7.32



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

जमाएँ

परिशिष्ट - 9

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
सिक्योरिटी जमा	10.76	9.76
असिस्टेंट इंजि. (ग्रामीण) एवीवीएनएल केएसजी	6.51	6.51
एवीवीएनएल किशनगढ़	0.32	0.32
बीएसएनएल टेलिफोन सिक्योरिटी	0.41	0.32
कृष्णा एचपी गैस सर्विस, आराई	0.88	0.03
पीएचईडी किशनगढ़ (ग्रामीण)	0.07	
कमांडेट होमगार्ड, अजमेर	2.58	2.58
जमा	16680.41	13245.39
असिस्टेंट इंजि. (ग्रामीण) एवीवीएनएल किशनगढ़	362.00	362.00
बीएसएनएल अजमेर	59.59	59.59
सीपीडब्लूडी अजमेर	16166.87	12823.80
सीपीडब्लूडी (हॉर्टिकल्चर) जयपुर	91.95	-

पूर्व भुगतान व्यय

परिशिष्ट - 10

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रु. लाखों में)

विवरण	रुपये	रुपये
कंप्यूटर लैब व्यय पूर्व भुगतान	0.25	-
फुड वेस्ट मैनेजमेंट व्यय पूर्व भुगतान	0.13	-
बीमा पूर्व भुगतान	0.65	-
सदस्यता व्यय पूर्व भुगतान	43.58	18.98
कुल योग	44.61	18.98

प्रयोजित परियोजनाएँ

परिशिष्ट - 11

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रु. लाखों में)

विवरण	रुपये	रुपये
विश्व विद्यालय प्रशासन प्रबंधन पर समस्त नेशनल वर्कशॉप	0.14	-
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन "एसओसीएनएएम 2013"	1	-
सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कांफ्रेंस	1.57	-
हिन्दी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला	0.03	-
एम.ई/एम.टेक हेतु अनुदान	-	22.82
कुल योग	2.75	22.82



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

शुल्क / अंशदान

परिशिष्ट - 12

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013

(राशि - रू. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
2 वार्षिक शुल्क	45.95	31.74
छात्र शुल्क	45.95	37.74
5 अन्य	23.00	16.29
विदेशी पंजीकरण शुल्क	0.12	-
छात्रावास शुल्क	20.79	13.74
माईग्रेसन शुल्क	0.09	-
पंजीकरण शुल्क	-	0.05
छात्रों से प्रायोजित शुल्क	2.00	2.5
कुल योग	68.95	48.03



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अन्य आय

परिशिष्ट - 13

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रू. लाखों में)

विवरण	2012-2013	2011-2012
परिसम्पत्ति विक्रय में लाभ व हानि	0.07	0.45
विविध आय	23.68	15.06
शस्ति संग्रह	0.13	
डिग्री शुल्क	1.59	
अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्राप्त शुल्क	0.23	-
छात्रावास कमरा किराया	-	0.07
विलम्ब शुल्क	0.13	
लिविडेटे टिड डेमरेज/शास्ति रिकवरी	0.11	
विविध शुल्क	0.00	
विविध प्राप्तियां	0.58	2.07
प्रोसेसिंग शुल्क	0.60	
अतिथि गृहचार्य प्राप्ति	0.04	
ट्रांसक्रिप्ट शुल्क	0.03	
यात्रा चार्ज की रिकवरी	2.26	
लैपटॉप व चार्जर राशि की रिकवरी	0.04	
नोटिल काल सेलरी रिकवरी	0.42	
भर्ती शुल्क संग्रह	11.33	
प्लेसमेंट मेला पंजीकरण शुल्क	1.40	
कैंटीन किराया	0.13	
बैंक किराया	2.89	12.92
प्रार्थना-पत्र (भर्ती) विक्रय	-	-
टेन्डर शुल्क प्राप्ति	1.78	
कुल योग	23.75	14.61



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संस्थापनगत व्यय

परिशिष्ट - 14

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक

(राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013
अ-वेतन एवं मजदूरी	443.55
वेतन एवं मजदूरी मूलवेतन-अशैक्षणिक	96.09
वेतन एवं मजदूरी (शैक्षणिक) मूल वेतन-शैक्षणिक	261.81
संविदा स्टाफ वेतन	48.06
अवकाश वेतन योगदान	0.06
सिक्योरिटी गार्ड वेतन	35.36
स्टाफ वेतन	0.82
ब-भत्ते एवं बोनस	324.35
भत्ते एवं बोनस (अशैक्षणिक)	90.11
डीए एरियर-(शैक्षणिक)	3.71
डीए-अशैक्षणिक	67.23
परिवार नियोजन भत्ता	0.05
एचआरए-अशैक्षणिक	9.38
ट्रांसपोर्ट भत्ता (अशैक्षणिक)	9.71
धुलाई भत्ता	0.03
भत्ते एवं बोनस (शैक्षणिक)	234.24
डीए एरियर-शैक्षणिक	10.22
डीए-शैक्षणिक	172.85
प्रतिनियुक्ति भत्ता-शैक्षणिक	0.03
एचआरए-शैक्षणिक	26.06
ट्रांसपोर्ट भत्ता-शैक्षणिक	24.04
स्टाफ बोनस	0.14
स-भविष्य निधि में अंशदान	0.00
द-अन्य निधियों में अंशदान	29.05
एनपीएस निधि में योगदान/ संविधिक निधियों में नियोक्ता अंशदान	28.97
पेंशन अंशदान	0.08
ई-कर्मचारी कल्याण व्यय	10.05
बालक शिक्षा भत्ते	5.38
चिकित्सा बिल पुनर्भरण	2.95
एलटीसी व्यय	1.72
एफ-कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं निवृत्ति परिलाभ व्यय	20.45
अर्जित अवकाश नकदीकरण	20.45
कुल योग	827.45

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

परिशिष्ट - 15

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक (राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013
ए-खरीद	22.93
कम्प्यूटर उपभोज्य व्यय	1.29
कम्प्यूटर लैब व्यय	0.76
रसायन लैब उपभोज्य	8.33
कम्प्यूटर विज्ञान लैब उपभोज्य	0.08
प्रयोगशाला उपभोज्य	0.04
फार्मैसी लैब उपभोज्य	1.08
भौतिकी विभाग-उपभोज्य	0.05
भौतिकी लैब-उपभोज्य	0.71
बायोटेक लैब-उपभोज्य	9.22
पर्यावरण विज्ञान-उपभोज्य	0.65
सी-कार्टेज एण्ड कैरिज इनवर्ड्स	0.59
कार्टेज व्यय	0.59
डी-बिजली एवं ऊर्जा	56.36
डीजी सेट परिचालन व रखरखाव	8.04
बिजली एवं ऊर्जा	47.96
ई-पानी व्यय	0.06
पानी व्यय	0.06
एफ-बीमा	0.75
बीमा	0.75
जी-मरम्मत व रखरखाव	8.13
डीजल जेनरेटर-मरम्मत रखरखाव	0.08
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	7.44
कम्प्यूटर व पैरिफेरल्स-मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	0.61
आई-किराया, दर तथा कर	0.76
किराया, दर तथा कर	0.76
जे-गाड़ी परिचालन रखरखाव	10.03
गाड़ी परिचालन रखरखाव	10.3
के-पोस्टेज, टेलिफोन व संप्रेषण प्रभार	12.95
पोस्टेज, टेलिफोन एवं संप्रेषण प्रभार	12.24
टेलिफोन एवं संप्रेषण शुल्क	0.71
एल-प्रिंटिंग व स्टेशनरी	13.18
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	13.18
एम-यात्रा व परिवहन व्यय	19.01
परिवहन प्रभार	0.47
अल्पकालिक पाठ्यक्रम हेतु	0.08
अतिथि संकाय परिवहन	6.23
यात्रा व्यय एवं परिवहन व्यय	8.59
मीटिंग हेतु यात्रा व्यय	1.05
पीएचडी विद्यार्थियों हेतु यात्रा व्यय	0.22
गाड़ी किराया व्यय	1.92
एन-सेमिनार/वर्कशॉप व्यय	11.86

जारी ...



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

परिशिष्ट - 15

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक (राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013
हिन्दी संगोष्ठी/वर्कशॉप/मीटिंग/प्रोग्राम व्यय	0.35
वर्कशॉप/कांफ्रेंस/सेमिनार/मीटिंग व्यय	11.51
ओ-सदस्यता व्यय	33.51
पुस्तक एवं जर्नल-राजस्व	
सदस्यता व्यय	33.51
पी-ऑडिटर पारिश्रमिक	0
ऑडिटर पारिश्रमिक	
आर-अतिथि सत्कार व्यय	2.29
बोर्डिंग व लोजिंग	1.28
अतिथि गृह रेकरिंग व्यय	1.01
एस-पेशवर प्रभार	6.46
वकील कानूनी शुल्क	0.3
वकील रिटेनरशिप शुल्क	0.44
पेशवर प्रभार	5.72
डबलू-फ्रेट व फॉरवर्डिंग व्यय	0.11
क्लीयरिंग तथा फॉरवर्डिंग प्रभार	0.11
वाई-विज्ञापन तथा प्रचार	36.69
विज्ञापन तथा प्रचार व्यय	36.69
जेड-अन्य (स्पष्ट करें)	143.21
सीयूसीईटी तथा परीक्षा खर्च	15.26
सीयूसीईटी 2013 व्यय	0.52
परीक्षा व्यय	2.15
परीक्षा व्यय सीयूसीईटी 2011	0.06
परीक्षा व्यय सीयूसीईटी 2012	11.99
	0
विभागीय व्यय	0.84
विभागीय व्यय-वाणिज्य	0.08
विभागीय व्यय-अंग्रेजी	0.16
विभागीय व्यय-वास्तुशास्त्र	0.11
विभागीय व्यय-जैव प्रौद्योगिकी	0.02
विभागीय व्यय-सीएमएस	0.34
विभागीय व्यय-अर्थशास्त्र	0.02
विभागीय व्यय-पीपीएलजी	0.05
विभागीय व्यय-सामाजिक कार्य	0.06
	0
ऐसी/एफसी/ईसी/मीटिंग व्यय	4.69
प्रवेश व्यय	14.47
एएमसी-प्रभार	0.34
बिल्डिंग एण्ड वर्क्स कमेंटी मीटिंग व्यय	0.48
बैंक प्रभार	0.81
राष्ट्रीय पर्व मनाना	0.19
दीक्षान्त व्यय	23.19

जारी ...



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

परिशिष्ट - 15

1 अप्रैल से 31 मार्च 2013 तक (राशि - रु. लाखों में)

विवरण	2012-2013
कंटेन्जेंसी व्यय	
डिस्पेंसरी व्यय	1.36
पर्यावरण सफाई शुल्क	
पेड़ों पौधों का रखरखाव व्यय	8.29
शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालन व्यय	3.11
राष्ट्रीय पर्व मनाने का व्यय	0.32
फुड वेस्टेज प्रबंधन व्यय	0.1
स्थापना समारोह	0.24
मानदेय	1.37
बैठकों हेतु मानदेय	0.07
अल्पकालिक पाठ्यक्रमों हेतु मानदेय	0.64
अतिथि संकाय को मानदेय	10.33
हॉर्टीकल्चर व्यय	0.03
छात्रावास रेकरिंग व्यय	0.9
मैस व्यय	0.05
विविध व्यय	6.68
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तथा ओपन हाऊस व्यय	0.17
समाचार पत्र व्यय	0.61
एनपीएस व्यय	0.03
कार्यालय व्यय	3.28
भर्ती व्यय	37.65
सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट सुविधाएँ	0.06
खेलकूद गतिविधि व्यय	1.69
खेलकूद सुविधा व्यय	
छात्र कल्याण व्यय	0.35
पाठ्यचर्या समिति बैठक व्यय	4.89
स्टाफ प्रशिक्षण व्यय	0.62
स्टाफ को यूनिफॉर्म	0.1
एनसीओबी-12	
आईएनटी. सीओएन. निध (ब्याज योगदान निधि)	
कुल योग	379.42

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

प्राप्तियों और भुगतान लेखा

वार्षिक लेखा एवं अंकक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि / वर्ष हेतु
प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा

(राशि - रु. लाखों में)

	प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	विगत राशि
1	प्रारम्भिक शेष अ हस्तगत नकदी ब बैंक शेष 1 चालू खातों में 2 जमा खातों में 3 बचत खातों में	0 1226.02		1 व्यय अ संस्थापनागत व्यय अनुसूचि 20 के अनुरूप ब प्रशासनिक व्यय अनुसूचि 20 के अनुरूप	705.45 331.57	
2	प्राप्त अनुदान अ भारत सरकार से ब राज्य सरकार से स अन्य स्रोतों से विवरण पी जी हेतु सहायता अनुदान ME / M Tech. हेतु छात्रवृत्तियाँ एकीकृत योजना हेतु सहायता अनुदान	10000 22.82 25.00		2 मेरिट छात्रवृत्तियों के पेटे किया गया भुगतान	10.39	
3	निवेशों से प्राप्त आय अ: ब निजि निधियों से			3 निवेश तथा जमाएं अ चिन्हित स्थायी निधियों में से :- ब निजि निधियों में से निवेश अन्य		
4	प्राप्त ब्याज अ बैंक जमाओं पर ब ऋण अग्रिम आदि	191.79		4 स्थायी परिसम्पतियों तथा पूँजि प्रगति पर कार्य कार्य पर व्यय अ स्थायी परिसम्पतियों की खरीद ब पूँजि पर व्यय प्रगति पर कार्य	563.03 4,684.97	
5	अन्य आय अ शुल्क / सदस्यता शुल्क ब भर्ति शुल्क संग्रहण स अन्य	68.96 23.73		5 अतिरिक्त राशि ऋणों का लौटाना अ भारत सरकार को ब राज्य सरकार को स अन्य निधि प्रदाताओं को		
6	उधार ली राशि			6 वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
7.	अन्य कोई • विश्वविद्यालय प्रकाशन प्रबंधन पर समस्त राष्ट्रीय कार्यशालाएँ • समुदाय / संसाधन तथा एलायन्स मीटींग • कॉम्पलेक्स विप्लेषण पर राष्ट्रीय कॉफ्रेंस • राष्ट्रीय कार्यशाला-हिन्दी विभाग • शोध परियोजना-सॉलिड वेस्ट • शोध परियोजना- एटीम • पीएचडी छात्रों की जमाएं • छात्रों की जमाएं • प्राप्त ईएमडी • पीपीएफ हेतु देयता • ग्रेज्यूटी देयता • अवकाश वेतन देयता • परफॉर्मैंस वेतन • माल हेतु विविध जमाकर्ता • अध्ययतावृत्ति • छात्र सहायता निधि	(0.55) (2.06) (31) 1.38 7.29 0.8 3.36 29.95 9.34 3.03 1.25 5.77 3.35 6.25 0.37		7.अन्य भुगतान (स्पष्ट करें) • अग्रिम - • पूर्वचुक्ता व्यय - • ड्यूटी तथा टैक्स • Inc इन डेब्टर - • Dec in क्रेडिटर • एकीकृत योजना में भुगतान • विभिन्न प्रायोजित योजनाओं में भुगतान - • बाहरी देयताओं का भुगतान • वेतन कटौति • NPS में अतिरि क्त रिकवरी - • सिक्वोरिटी भुगतान - 8. अंतिम शेष अ) हस्तगत नकदी - ब) बैंक शेष - (i) चालू खातों में (ii) जमा खातों में (iii) बचत खातों में	3462.68 44.03 2.23 111.79 877.66 8.95 3.11 16.13 0.40 0.05 0.19 1.51 818.93	
	कुल - 11643.07			कुल - 11643.07		

वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट 2012-2013



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय


प्राप्तियाँ एवं भुगतान एक नज़र में



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

वर्षवार प्राप्तियाँ

(राशि - रु. लाखों में)






राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

आवर्ती तथा गैरआवर्ती व्ययों हेतु निधियों का उपयोग

(राशि - रु. लाखों में)






राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

आवर्ती तथा व्ययों हेतु निधियों का उपयोग

(राशि - रु. लाखों में)





राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

प्रमुख पूँजीगत व्ययों हेतु निधियों का उपयोग

(राशि - रु. लाखों में)

